कार्यकारी सारांश

इस लेखापरीक्षा को संपादित करने का उद्देश्य

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज़ के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा दो बुनियादी चिंताओं: निम्न सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) जो कि 2017-18 में 25.8 प्रतिशत था और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, जिसे देश में विश्व स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी द्वारा चिन्हित किया गया है, से ग्रस्त है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय उच्च शिक्षा तंत्र को परेशान करने वाले मुद्दें, जैसे कि सीमित पहुंच, शोध पर कम जोर, सीमित संस्थागत स्वायत्तता आदि को दोहराती है। साथ ही, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020 में पाया गया है कि भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों से स्नातक हुए पचास प्रतिशत से अधिक छात्र रोजगार के योग्य नहीं हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार, सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात के लिए राजस्थान की रैंकिंग 20 (2010-11) से घटकर 23 (2018-19) रह गई।

चूंकि राजस्थान का सकल नामांकन और उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता दोनों मामले में प्रदर्शन खराब था, अतः 'राजस्थान में उच्च शिक्षा के परिणामों' की निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित करने का निर्णय लिया गया।

उच्च शिक्षा में परिणामों की पहचान और उनका मापन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। विषय विशेषज्ञों के साथ व्यापक पारस्परिक विचार-विमर्श, और विभिन्न नीति दस्तावेजों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि छात्र उच्च शिक्षा के प्राथमिक परिणाम के रूप में ***'रोजगार क्षमता और उच्च अध्ययन'*** चाहते हैं और समाज चाहता है कि उच्च शिक्षा ***'शोध के माध्यम से नए ज्ञान का निर्माण'*** और ***'प्रभावी शिक्षण/ अधिगम की प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान का प्रसार'*** की दिशा में योगदान करे जबकि सरकार का उद्देश्य ***'उच्च गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तंत्र बनाना है जो कि समाज के सभी वर्गों के लिए आसानी से सुलभ हो'***। यह भी सामने आया कि इन परिणामों को प्राप्त करने में एक ठोस और मजबूत शासन संरचना सर्वोपरि थी।

छात्र प्रगमन, पहुंच, समता, गुणवत्ता तथा शासन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के परिणामों को प्राप्त करने में राज्य की उपलब्धियों का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए यह निष्पादन लेखापरीक्षा सामान्य स्ट्रीम (विज्ञान/कला/वाणिज्य) में शिक्षा प्रदान करने वाले चयनित तीन[1] राज्य विश्वविद्यालयों, तीन संघटक महाविद्यालयों एवं 66 संबद्ध राजकीय और निजी महाविद्यालयों में संपादित की गई। आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के अभिलेखों का भी परीक्षण किया गया था। लेखापरीक्षा 2014-19 की अवधि के लिए संपादित की गई थी।

संक्षिप्त में निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छात्रों के रोजगार/उच्च अध्ययन में प्रगमन/ प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदर्शन से संबंधित आंकडों के रखरखाव की प्रणाली उच्च शिक्षा तंत्र के सभी स्तरों पर या तो अपर्याप्त थी या गैर-मौजूद थी। रोजगार सुविधा सेवा तंत्र या तो निष्क्रिय थे या गैर-मौजूद थे।

---

1 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू), जोधपुर तथा गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (जीजीटीयू), बांसवाड़ा।

कार्यकर्मों के पाठ्यक्रम डिजाईन/ संशोधन से पूर्व हितधारकों से फीडबैक प्राप्त नहीं किए थे। सूचना व सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सुविधाओं की उपलब्धता अपर्याप्त थी और नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में बहुत कम शिक्षक आईसीटी शिक्षण उपकरणों का उपयोग कर रहे थे।

छात्र शिक्षक अनुपात उच्च था तथा नमूना जांच किए गए निजी महाविद्यालयों में बडी संख्या में शिक्षक निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण अहर्ता नहीं रखते थे। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू), जोधपुर और गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (जीजीटीयू), बांसवाड़ा में मूल्यांकन प्रणाली परिचालनात्मक और नियन्त्रण में कमी का सामना कर रही थी। नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों का शोध गतिविधियों के संचालन में प्रदर्शन बहुत ही खराब था।

यद्यपि राजस्थान के सकल नामांकन अनुपात में पिछले नौ वर्षों में मामूली बढ़ोतरी हुई तथापि यह लगातार राष्ट्रीय आंकड़े से कम रहा। 2014-19 के दौरान राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई लेकिन राजस्थान सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजन वर्गों के सकल नामांकन अनुपात के आंकड़े संधारित नहीं किए थे। 2018-19 में राजस्थान का सभी वर्गों का लैंगिक समानता सूचकांक अखिल भारतीय औसत से मेल खाते है। सभी नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ क्रियाशील नहीं थे। नमूना जांच किए गए अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाएं अपर्याप्त थी और नमूना जांच किए गए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में रैंप के अतिरिक्त दिव्यांगजन अनुकूल अवसंरचना का अभाव था

राज्य में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक) से प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति निराशाजनक थी और नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में शासी निकायों की निर्धारित बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं।

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें

अध्याय वार लेखापरीक्षा टिप्पणियां जो कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों का आधार बनी निम्न प्रकार हैं :

अध्याय II : रोजगार और उच्च अध्ययन के लिए छात्रों का प्रगमन

- कैरियर काउंसलिंग सेल/प्लेसमेंट सेल और पूर्व-छात्र संघ या तो निष्क्रिय थे या गैर-मौजूद थे। नमूना जांच किए गए 99 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थानों में रोजगार क्षमता वृद्धि के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए थे। 2018-19 के दौरान नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी भी छात्र ने फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप नहीं की।

(अनुच्छेद 2.1.1.1 एवं 2.1.2.2)

- 2014-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर में रोजगार क्षमता/उद्यमिता/ कौशल विकास पर केंद्रित बहुत कम नए कोर्स शुरू किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.1.2.3 एवं 2.1.2.4)

- छात्र रोजगार और उच्च अध्ययन के लिए छात्रों के प्रगमन से संबंधित आंकड़े न तो आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा राज्य स्तर के लिए और न ही नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों एवं उनके संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा संधारित किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.1.3.1 एवं 2.1.3.2)

सिफारिश :

प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को चाहिए कि वह एक कार्यात्मक प्लेसमेंट सेल, कैरियर काउंसलिंग सेल का गठन करें, और स्नातक छात्रों को रोजगार पाने या उच्च अध्ययन हेतु प्रगमन को सुगम बनाने के लिए एक जीवंत पूर्व-छात्र संघ को प्रोत्साहित करें।

अध्याय III : उच्च शिक्षा की गुणवत्ता

प्रभावी अधिगम प्रणाली

- सामान्य डिग्री कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम डिजाईन/संशोधित करने के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर में उद्योगपतियों, उद्यमियों, छात्रों जैसे हितधारकों से फीडबैक प्राप्त नहीं किए।

(अनुच्छेद 3.1.1.2)

- 2014-19 के दौरान (11 चयनित विभागों में से) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में 96 प्रतिशत कार्यक्रमों और जेएनवीयू, जोधपुर में 64 प्रतिशत कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम/सिलेबस संशोधित किए गए थे, जबकि जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने 2012 में अपनी स्थापना के बाद से 2019 तक किसी भी कार्यक्रम का पाठ्यक्रम संशोधित नहीं किया।

(अनुच्छेद 3.1.1.3)

प्रभावी शिक्षण प्रणाली

- *2018-19* के दौरान नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों में, केवल 10.75 प्रतिशत कक्षाओं में सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संसाधन उपलब्ध थे और मात्र 30.59 प्रतिशत शिक्षक शिक्षण में आईसीटी उपकरणों का उपयोग कर रहे थे।

(अनुच्छेद 3.1.2.2)

- राजकीय महाविद्यालयों में संकायों की उपलब्धता अपर्याप्त थी, जिसके परिणामस्वरूप छात्र शिक्षक अनुपात (औसत) बढ़ कर 88:1 हो गया, जोकि 20:1 की निर्धारित सीमा की अपेक्षा चार गुना से अधिक था।

(अनुच्छेद 3.1.2.3 (अ))

- नमूना जांच किए गए 30 संबद्ध निजी महाविद्यालयों में, 45.71 प्रतिशत शिक्षकों के पास निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अहर्ता नहीं थी। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की दिशा में भी प्रयास अपर्याप्त थे।

(अनुच्छेद 3.1.2.3 (ब) एवं 3.1.2.4)

प्रभावी शोध

- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा शोध परियोजनाओं पर स्वीकृत अनुदान का केवल 45.82 प्रतिशत का उपयोग किया गया और केवल 39 प्रतिशत शोध परियोजनाएं पूर्ण की जा सकी। आगे, शोध परियोजनाएं पूर्ण होने के परिणाम के रूप में कोई पेटेंट प्राप्त नहीं किया जा सका। जेएनवीयू, जोधपुर में, 62.60 प्रतिशत शोध अनुदान का उपयोग करने के बाद भी 14 शोध परियोजनाओं पूर्ण नहीं की जा सकी। जीजीटीयू, बांसवाड़ा में कोई शोध परियोजना आरंभ नहीं की गई थी। चिंताजनक रूप से, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में, पीएचडी छात्रों द्वारा प्रस्तुत 72 थीसिस मूल्यांकन/ परीक्षण के लिए परीक्षकों के पास 2007 से 2019 तक लंबित थी।

(अनुच्छेद 3.2.1)

सिफारिशें :

- विश्वविद्यालयों को :
  - स्थानीय/राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को समय पर संशोधित/डिजाईन करना चाहिए।
  - सभी कार्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टर प्रणाली को लागू करते हुए अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए और टर्म पेपर, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और साप्ताहिक असाइनमेंट के माध्यम से छात्रों के निरंतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि छात्रों की रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके। यह नई शिक्षा नीति के अनुरूप भी होगा जो कि बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देती है।
  - यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शोध परियोजनाएं उचित गुणवत्ता के साथ संचालित की जाएं और समाज को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने के लिए समय पर पूर्ण हो जाएं।
- शिक्षा प्रदान करने में तकनीकी प्रगति और नवाचारों के साथ तालमेल रखने के लिए, उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षकों को आईसीटी शिक्षण उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

अध्याय IV : उच्च शिक्षा में पहुंच एंव समता

- राजस्थान सरकार के पास असेवित क्षेत्रों में नए महाविद्यालयों की स्थापना के लिए एक विशिष्ट नीति नहीं थी और उच्च शिक्षा सुविधाओं की कमी वाले स्थान की पहचान करने के लिए भौगोलिक मानचित्रण नहीं किया था।

(अनुच्छेद 4.1.1.1 एवं 4.1.1.2)

- उच्च शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता में शहरी/ग्रामीण और क्षेत्रवार असंतुलन थे। 2014-15 से 2018-19 के दौरान विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम की सीटों की उपलब्धता में कमी हुई जबकि कला स्ट्रीम में वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 4.1.2.1 से 4.1.2.3)

- यद्यपि राजस्थान का सकल नामांकन अनुपात 2010-11 में 18.2 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 23 प्रतिशत हो गया है लेकिन यह लगातार राष्ट्रीय औसत आंकड़ों से कम रहा है।

(अनुच्छेद 4.2)

- सभी नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वंचित समूहों की सहायता के लिए सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ जैसे संस्थागत तंत्र क्रियाशील नहीं थे।

(अनुच्छेद 4.2.2)

- जीजीटीयू, बांसवाड़ा और नमूना जांच किए गए अधिकांश राजकीय और निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और फर्नीचर जैसी बुनियादी अवसंरचना पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं थीं। इसके अलावा, नमूना जांच किए गए सभी 66 महाविद्यालयों में रैंप को छोड़कर कोई दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

(अनुच्छेद 4.4.1)

सिफारिश :

- *राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करें और सभी वर्गों के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास करें।*
- *राज्य सरकार को गुणवत्तापूर्ण अवसरंचना की उपलब्धता तथा उच्च शिक्षा के परिणामों के बीच प्रत्यक्ष संबंध को मान्यता देते हुए प्रभावी शिक्षण, पहुंच में सुधार तथा छात्रों की ठहराव दर में वृद्धि हेतु राजकीय महाविद्यालयों में उच्च गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसरंचना प्रदान करने के लिए तत्काल उपाय करना चाहिए।*
- *विश्वविद्यालयों को ई-लाइब्रेरी के विकास सहित अवसरंचना में सुधार तथा उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों के क्रय और उपयोग के लिए उचित योजना तैयार करनी चाहिए।*

अध्याय V : शासन एवं प्रबंधन

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण होने के बाद भी राजस्थान में सामान्य स्ट्रीम के 1,761 महाविद्यालयों में से मार्च 2019 तक, केवल चार ने ही स्वायत्त का दर्जा प्राप्त किया था।

(अनुच्छेद 5.2)

- राज्य में नैक प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति निराशाजनक थी क्योंकि पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों का केवल 6.04 प्रतिशत ही जनवरी 2020 तक नैक प्रत्यायन प्राप्त थे। साथ ही केवल 0.66 प्रतिशत प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा ए+/ए ग्रेड प्राप्त किए जाने का तथ्य राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जा रही उच्च शिक्षा की कमजोर गुणवत्ता को इंगित करता है।

(अनुच्छेद 5.4)

सिफारिश :

- *नैक प्रत्यायन प्राप्त संस्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए, राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को महाविद्यालयों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों की कार्यपद्धति की प्रभावी निगरानी करनी चाहिए और उच्च शिक्षण संस्थानों को भी अपने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों को मजबूत करना चाहिए।*
- *विश्वविद्यालयों को महाविद्यालयों के लिए संबद्धता प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले संबद्धता का नवीनीकरण पूर्ण हो जाए ताकि छात्रों के भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।*

नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का संकेतकों पर आधारित मूल्यांकन

- नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का आकलन नौ परिणाम संकेतकों और 17 इनपुट-आउटपुट संकेतकों (कुल मिलाकर 26) जो नैक प्रत्यायन मानदंडों का उपयोग करते हुए विकसित किए गए थे, पर आधारित था और नैक द्वारा प्रत्यायन प्राप्त विश्वविद्यालयों को दिए गए ग्रेड का उपयोग करके मापा गया था । नैक द्वारा किसी विश्वविद्यालय को प्रदान की गई अंतिम ग्रेड, नैक द्वारा निर्धारित प्रत्येक संकेतक के समक्ष अलग से प्रदान किए गए अंकों (शून्य से चार, चार सबसे अच्छा) का संचयी प्रतिफल है ।
- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने इनमें से 18 संकेतकों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान/संधारित नहीं किए। इसने चार संकेतकों के समक्ष शून्य अंक, तीन संकेतकों के समक्ष एक अंक, और एक संकेतक के समक्ष चार अंक प्राप्त किए। जेएनवीयू, जोधपुर ने इन संकेतकों में से 18 का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान/संधारित नहीं किए। इसने पांच संकेतकों के समक्ष शून्य अंक, एक संकेतक के समक्ष तीन अंक और दो संकेतकों के समक्ष चार अंक प्राप्त किए। जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने इनमें से चार संकेतकों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान/संधारित नहीं किए। इसने 16 संकेतकों के समक्ष शून्य अंक, दो संकेतकों के समक्ष एक अंक और चार संकेतकों के समक्ष चार अंक प्राप्त किए ।

  जिन संकेतकों के लिए अंक दिए गए थे, वे विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन को इंगित करते हैं लेकिन उल्लेखनीय है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (2016 में) और जेएनवीयू, जोधपुर (2011 में) ने पूर्व में ही नैक द्वारा प्रत्यायन प्राप्त कर लिया था तो भी दोनों विश्वविद्यालयों ने प्रत्यायन प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक सूचना संघारित नहीं की। इस कारण, अधिकांश संकेतकों का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। नियमित रूप से प्रत्यायन से संबंधित सूचना अद्यतन तथा संधारित की जाए यह सुनिश्चित करना विश्वविद्यालयों की आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी थी ।